सपाइयों ने निकाला मार्च, ज्ञानेश कुमारका फूंका पुतला, पुलिससे झड़प, लगा जाम

'वोट बचाओ-देश बचाओ' के तहत सपा कार्यालयसे बालसन चौराहे तक निकले मार्चसे रही अफरातफरी

सपाइयों ने गुरुवार को 'वोट बचाओ-देश बचाओ' के तहत पैदल मार्च निकाला और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाये। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन के दौरान से झड़प भी हुई। इस दौरान जाम भी लग गया। जिसके बाद सपाई पैदल कचहरी पहुंचे और राष्ट्रगान गाकर प्रदर्शन समाप्त किया।

भारत निर्वाचन आयोग के संस्थागत कब्जे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, उनपर



मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला एवं महानगर की सभी विधानसभाओं से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के निर्देश पर 'वोट बचाओ-देश बचाओं 'मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया। दोपहर बारह बजे पार्टी कार्यालय से हाथ में बैनर, नारे लिखी तख्तियां, पार्टी के झंडे आदि लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, महिला सभा सहित सभी फ्रंटल संघटनों के कार्यकर्ताओं का हुजूम वोट चोर गद्दी छोड़, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, समाजवादी पार्टी जिन्दाबाद, आदि नारे लगाते हुए बालसन चौराहे स्थित गांधीजी की प्रतिमा पर पहुंचे। इस दौरान सड़क पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गयी। वाहनों की लंबी कतार लग गयी। सपाइयों ने महात्मा गांधी मूर्ति स्थल के सामने पार्क में ही ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने लग तो पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की, जिसे लेकर कुछ देर तक विवाद की स्थिति बनी रही। जिसके बाद गांधी की प्रतिमा पर प्रतिमा के पास ही संविधान के अनुच्छेद ३२६ का पाठ किया गया। तदुपरान्त जिला कचेहरी तक मार्च करते हुए लोग पहुंचे जहाँ राष्ट्र गान के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च में जिलाध्यक्ष अनिल यादव, महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन, यमुनापार महसचिव इंजी. जगदीश यादव, विधायकगण श्रीमती विजमा यादव, संदीप पटेल, गीता शास्त्री,हाकिम लाल बिन्द,पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद, सत्यवीर मुन्ना, लल्लन राय ,रविन्द्र यादव, पंधारी यादव, संदीप यादव, निधि यादव, कमल सिंह, वकार अहमद, राम मिलन यादव, अमर नाथ मौर्य, योगेश यादव, दान बहादुर मधुर, संगम लाल मौर्य, श्रीमती कमला यादव, नरेन्द्र सिंह, मंजू यादव, कृष्ण मूर्ति सिंह, निर्मला यादव, ज्ञान सिंह यादव, प्रतिमा रावत, मंजू पाठक, काजमीन जहां, तारिक सईद अज्जू, मो. शारिक आदि मौजूद रहे।



मेडिकल चौराहेपर लगा जाम।

दिनदहाड़े टीवी कालोनी में १.२० लाख नकदी एवं गहने चोरी

पड़ोसीने दो युवकोंको घरसे भागते देखा, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस

शिवकुटी थाना क्षेत्र स्थित टीवी कालोनी में चोर दिनदहाड़े सरकारी आवास का ताला तोड़कर शादी के जेवरात और १.२० लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए। घटना छह अक्टूबर की दोपहर की है। पड़ोसियों से जानकारी होने पर पीड़ित परिवार घर पहुंचा तो उनके होश उड़ गये। दिनदहाडे हुई चोरी से आसपास हडकंप मच गया। शिवकुटी पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है। टीवी कालोनी के ब्लाक २३ स्थित आवास संख्या ७२ टाइप-२ निवासी मनोज कुमार बिंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह अक्टूबर को सुबह करीब ११ बजे वह पत्नी और बच्चों के साथ घर से बाहर गए थे। पत्नी अर्चना और परिवार के अन्य सदस्य ड्यूटी पर चले गए, जबकि वह बच्चों को लेने स्कूल गए थे। दोपहर करीब एक बजे पड़ोसी शिवम और विक्टोरिया ने फोन कर घर का ताला टूटे होने की जानकारी दी। मनोज घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर दोनों अलमारियों और लाकर का ताला टूटा मिला। सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे शादी के सोने-चांदी के जेवरात के दो सेट और १.२० लाख रुपये नकद गायब थे। पड़ोसी चंदन ने बताया कि उसने दो युवकों को घर से निकलकर भागते देखा था। उसने उनका पीछा भी किया, लेकिन घटना स्पष्ट नहीं होने के कारण ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सूचना पर ११२ की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। शिवकुटी थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गयी है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है जल्द ही गिफ्तार कर लिया जायेगा।

चाकू दिखाकर युवतीसे दुराचारकी कोशिश, दो मोबाइल छीनकर भागा

पीड़िताके मंगेतर एवं सासको फोनपर दी धमकी, मुकदमा

फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांवमें एक युवक ने घर की छत पर चढ़कर युवती को चाकू दिखाकर दुराचार की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर आरोपित ने उसे थप्पड़ मारे और उसके दो मोबाइल छीनकर भाग गया। आरोप है कि इसके बाद युवती के मोबाइल से उसके होने वाले पति और सास को फोन कर शादी रोकने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में सात अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फूलपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार अक्टूबर की रात करीब एक बजे उनकी बेटी अपने होने वाले पति से फोन पर बात कर रही थी। तभी गांव का एक युवक घर की छत पर चढ़ आया। आरोप है कि उसने हाथ में चाकू लेकर युवती को धमकाया और जबरन दुराचार का प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर उसने थप्पड़ मारकर उसके दो मोबाइल छीन लिए और भाग गया। आरोप है कि आरोपित ने युवती के मोबाइल से उसके होने वाले पति और सास को फोन किया। उसने कहा कि अपने और बेटे की सलामती चाहते हो तो शादी से मना कर दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को जान से मार देगा।

पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपित पहले भी उनके और उनकी बेटी के साथ घटना कर चुका है और इसकी एफआईआर पहले से दर्ज है। इस घटना से पीड़ित परिवार डरा हुआ है। फुलपुर पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गयी है।

घरमें घुसकर महिलासे मारपीट, दुराचार की धमकी

एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और गालीगलौज करने, घर पर पथराव कर सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपितों ने उसे दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच क रही है। तहरीर के मुताबिक एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के बजहा में रहने वाली एक महिला के घर पर श्यामपति पटेल, उसका पति राजेश पटेल और अंकुल पटेल ने पथराव किया। आरोप है कि इस दौरान घर में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया। इसके बाद आरोपित घर में घुस आए और महिला के साथ मारपीट व गालीगलौज की। महिला ने आरोप लगाया कि अंकुल और राजेश पटेल स्कूल जाते समय उसका पीछा करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपितों पर घर और जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने तथा दुष्कर्म की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

स्टीरिलाइजर मशीनकी नही हुयी मरररम्मत

काल्विन मंडलीय अस्पताल में मरीजों की सेहत एवं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्टीरिलाइजर की दो मशीन छह माह से खराब है। स्टीरिलाइजर मशीन में आपरेशन के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उच्च तापमान पर गर्म करके संक्रमण रहित किया जाता है। लेकिन मशीन खराब होने के कारण किसी तरह से डाक्टर उपकरणों की सफाई करवा कर काम चला रहे हैं।

अतीकके करीबियोंकी अवैध प्लाटिंगपर चला बुलडोजर, निर्माण सील

पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को जहां जोन-१ क्षेत्र में माफिया अतीक के करीबियों की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कारवाई की गयी। वहीं जोन दो में सूरज कुमार पटेल के नेतृत्व में एक अवैध निर्माण को सील किया गया।

जोनल अधिकारी गंगेश कुमार के अनुसार पोंगहट पुल विष्णापुरी कालोनी स्थित कान्हा गोशाला के पास मो. जैद खालिद, गुडडू भाट, मो. अब्बू सैद, मो. अकरम, मो. अब्बू हाफ, मो. आतिफ मुल्ला, मा. आकिब, विजय कुमार एवं अन्य द्वारा करीब दो बीघे के क्षेत्रफल में किये गये अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। जोनल अधिकारी के मुताबिक प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण या अवैध प्लाटिंग करनेवालों के विरूद्ध काररवाई जारी रहेगी। इसलिए ऐसे लोग प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नक्शा पास कराकर ही विकार्स कार्य करायें। साथ ही अन्य लोग भी किसी भी अवैध कालोनी, मेला क्षेत्र एवं बाढ़ क्षेत्र में भूखण्डों का क्रय विक्रय न करें। काररवाई में अवर अभियन्ता ई. सोनू कुमार, सुपरवाईजर, एवं पीडीए प्रवर्तन टीम आदि मौजूद रहे।

वहीं दूसरी ओर जोनल अधिकारी सूरज कुमार पटेल के अनुसार जोन दो में हीवेट रोड पर आकाश अग्रवाल द्वारा किये गये अवैध निर्माण को सील किया गया। काररवाई अवर अभियन्ता ईशू कनौजिया, सुपरवाईजर एवं पीडीए प्रवर्तन टीम आदि मौजूद रहे।

कर्मचारियोंको संरक्षा नियमोंका पालन करनेके लिए किया प्रेरित

प्रयागराज मण्डल में रेल संचालन की संरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रयागराज छिवकी लाबी में संरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार के दौरान सिग्नल पासिंग एट डेंजर के कारणों एवं इससे बचाव, शंटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एवं शंटिंग की प्रभावी निगरानी, रिले रूम को खोलने एवं बंद करने के दौरान आवश्यक सुरक्षा सावधानियों तथा संरक्षा, सुरक्षा एवं समयपालन के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस दौरान कर्मचारियों को दुर्घटनाओं को शून्य तक लाने के लिए पूरी सजगता एवं निर्धारित संरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी एवं संरक्षा टीम ने कर्मचारियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रेल संचालन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि रेल संचालन में छोटी-सी लापरवाही भी गम्भीर परिणाम का कारण बन सकती है। प्रत्येक कर्मचारी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता, अनुशासन एवं निर्धारित नियमों के अनुसार करना चाहिए।

स्टेशन अधीक्षक प्रयागराज छिवकी, कुमार राकेश, वरिष्ठ क्रू कंट्रोलर, एस. एन. द्विवेदी, मुख्य लोको निरीक्षक, हेमंत कुमार ने भी उपस्थित कर्मचारियों को संरक्षा सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। सेमिनार में वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी,उमेश चन्द शुक्ला की उपस्थिति में रनिंग कर्मचारियों सहित परिचालन विभाग के लगभग ३५ कर्मचारियों ने भाग लिया।

कांग्रेसियोंने निकाला मशाल जुलूस, मांगा सीईसी का इस्तीफा

केन्द्र सरकार और चुनाव आयोगके खिलाफ जमकर की नारेबाजी

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेसी सड़क पर उतरे। शाम को सिविल लाइन्स पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओ ने सुभाष चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला और काला दिवस मनाया। इस दौरान हाथों में मशाल लकर चल रहे कांग्रेसी केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजा कर रहे थे।

इस दौरान सुभाष चौराहा पर हुई सभा को राष्ट्रीय प्रभारी सचिव वरुण चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा



कि हम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं । नरेंद्र मोदी अमित शाह मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार जैसे तानाशाहों ने देश से लोकतंत्र खत्म कर दिया है । कहा कि मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने के साथ देश को वोट चोरी से हाईजैक कर लिया गया है जो देशद्रोह है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार और आयोग भाजपा के लिए काम रहे हैं।

केंद्र और अनेक राज्यों की भाजपा की सरकारें जब से सत्ता में आयी है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। श्री चौधरी ने सरकार को चेतावनी दी कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक देशव्यापी आन्दोलन जारी रहेगा।

मशाल जुलूस एवं विरोध-प्रदर्शन करने वालों में शहर अध्यक्ष, यमुनापार अध्यक्ष अशोक पटेल, गंगापार अध्यक्ष अशफाक अहमद, सुधाकर तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, विजय मिश्रा, संजय तिवारी, प्रदीप मिश्र अंशुमन, परवेज अख्तर अंसारी, विवेकानंद पाठक, अनिल कुशवाहा, मुमताज अंसारी, जितेन्द्र तिवारी, विनय पाण्डेय, लल्लन पटेल, राजेश्वरी पटेल, मोहम्मद हसीन, विनय दूबे, अल्पना निषाद, प्रतिमा त्रिपाठी, सरताज, अरशद अली, प्रदीप नारायण द्विवेदी, बृजेश गौतम, प्रेमचंद्र यादव, मंजू संत, गौरव पाण्डेय, तंजीम उद्दीन, विशाल सोनकर, अल्तमश, आशीष पाण्डेय आदि लोग मौजूद रहे।

पटाखा बिक्रीके लिए कलसे होंगे अस्थायी लाइसेंसके आवेदन

दीपावली पर अस्थायी पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तारीख घोषित कर दी है। पहले आओ-पहले पाओ नीति के तहत अस्थायी पटाखा विक्रय लाइसेंस के लिए १० अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि २५ अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदक को स्वयं अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय के कार्यालय में पहुंचकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और पिछले वर्ष जारी अस्थायी लाइसेंस की मूल प्रति साथ लानी होगी। अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय विजय ढुल ने बताया कि २५ अक्टूबर के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्टने अनुपालन रिपोर्टमें देरी पर जतायी नाराज़गी, अधिकारियोंसे मांगा स्पष्टीकरण

(विधि संवाददाता)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के प्रमुख सचिव को दिए गए आदेश का एक महीने तक पालन न करने पर कड़ी नाराज़गी जताई है। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दीपक पाल की आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को इसके लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने २ सितंबर २०२६ को विस्तृत आदेश पारित कर प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को ३० सितंबर २०२६ तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। केस की सुनवाई के समय सरकारी अधिवक्ता ने ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी न होने की बात कही।और दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा।हाईकोर्ट कार्यालय ने बताया कि २ सितंबर के आदेश के अनुपालन में संबंधित अधिकारी को पत्र ५ अक्टूबर को भेजा गया है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों का ऐसा 'लापरवाह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बताएं कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन एक महीने तक क्यों नहीं किया गया।

शादीकी तारीख बदलनेपर होटलने नही लौटायी एडवांस रकम, उपभोक्ता आयोगने दिलाये १.५० लाख रुपये

(विधि संवाददाता)

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शादी की बुकिंग की तारीख बदलने के बाद एडवांस रकम वापस नहीं करने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने होटल इलाहाबाद रिजेंसी को १.२५ लाख रुपये और इवेंट आयोजक को २५ हजार रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा दोनों विपक्षीगण पर अलग-अलग १०-१० हजार रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा पांच-पांच हजार रुपये वाद व्यय भी देने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम व प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने दिया ।आयोग के समक्ष स्वाती मिश्रा ने वर्ष २०१८ में परिवाद दाखिल किया था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने विवाह के लिए ८ जुलाई २०१६ को होटल में २८ नवंबर २०१६ की तारीख के लिए बुकिंग कराई थी। इसके लिए उन्होंने होटल के खाते में १.२५ लाख रुपये एडवांस और होटल की संस्तुति पर इवेंट आयोजक को २५ हजार रुपये का भुगतान किया था।

अपरिहार्य कारणों से विवाह की तारीख बदलकर ३ दिसंबर २०१६ हो गई। इसकी सूचना विपक्षीगण को देकर एडवांस रकम नई तारीख के लिए समायोजित करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। रकम वापस मांगने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

होटल की ओर से दलील दी गई कि परिवादिनी ने अपने नाम से कोई बुकिंग नहीं कराई थी, बल्कि उसके खाते से दो अन्य व्यक्तियों की पार्टियों के लिए भुगतान हुआ था। इसलिए उसके और होटल के बीच उपभोक्ता-सेवा प्रदाता का संबंध नहीं बनता।आयोग ने बैंक रिकॉर्ड और इवेंट ऑर्गनाइजेशन के दस्तावेजों का परीक्षण किया।

दस्तावेज में गेस्ट नेम स्वाती मिश्रा, २८ नवंबर २०१६ की शादी और होटल इलाहाबाद रिजेंसी का उल्लेख पाया गया। आयोग ने होटल की ओर से पेश दो अन्य पार्टियों की रसीदों को भी स्वीकार योग्य नहीं माना, क्योंकि उनकी भुगतान तिथियां अलग थीं।आयोग ने कहा कि परिवादिनी और दोनों विपक्षीगण के बीच उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का संबंध स्थापित होता है। एडवांस रकम वापस न करना सेवा में कमी है।

आयोग ने विपक्षी नंबर एक के खिलाफ परिवाद आंशिक रूप से और विपक्षी नंबर दो के खिलाफ एकपक्षीय रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि निर्णय की तारीख से दो माह के भीतर निर्धारित रकम का भुगतान किया जाए।

मूलभूत सुविधा न मिलनेसे लेखपालोंका आनलाइन कार्य बंद

प्रयागराजमें ३१७८ गांवोंमें काम रुका, लोगोंकी परेशानी बढ़ी

मूलभूत सुविधाओं को लेकर मांगों पर विचार न होने के कारण गुरुवार से सभी लेखपालों ने सभी ग्रामों का आनलाइन कार्य बंद कर दिया। आनलाइन कार्य बंद होने से प्रयागराज में कुल ३१७८ ग्राम का आय, जाति, निवास, वरासत, इडब्लूएस प्रमाण पत्र, अंश संशोधन, नाम संशोधन, कृषक दुर्घटना योजना आदि कार्य पूरी तरह रुक गया है। जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गयी है।

जिलाध्यक्ष अवनीश पाण्डेय ने बताया कि शासन द्वारा विगत ९-१० वर्ष पूर्व लैपटाप एवं मोबाइल उपलब्ध कराया गया था किन्तु वह किसी कार्य का नहीं रह गया । लगभग ९० फीसदी लैपटाप एवं मोबाइल खराब हो चुके हैं। जिस तरह सरकारी योजनाओं को आनलाइन किया जा रहा उसी तरह संसाधन भी उपलब्ध कराना चाहिए। जिलामंत्री कुलदीप यादव ने बताया कि उच्चगुणवत्ता का लैपटाप व मोबाइल आदि शासन को उपलब्ध कराना चाहिए। जिलाध्यक्ष एवं जिलामंत्री ने बताया कि १० अक्तूबर को लेखपाल थाना समाधान दिवस पर काली पट्टी बाँधकर कार्य करेंगे तथा १२ को तहसील सदर में भारी संख्या में लेखपालों द्वारा रक्तदान किया जाएगा। जिसके सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया।

छिनैतीके मामलेमें दो आरोपित गिरफ्तार

कर्नलगंज पुलिस ने छिनैती के मामले में वांछित दो आरोपितों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को अयोध्या हॉस्टल के पास से पकड़ा। उनके कब्जे से चार एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए। पकड़े गए आरोपितों में अभय राज उर्फ राजा निवासी नवघरवा, ओम गायत्री नगर, चांदपुर सलोरी और शहीद निवासी पलिंदा, थाना रक्सा, झांसी, हाल पता तिनकुनिया चौराहा, छोटा हनुमान मंदिर के पास, दारागंज शामिल हैं।पुलिस के अनुसार, अभय राज उर्फ राजा के खिलाफ दारागंज, जार्जटाउन, नवाबगंज, सिविल लाइंस और कर्नलगंज थानों में चोरी, चोरी का माल रखने समेत संबंधित धाराओं में पहले से सात मुकदमे दर्ज हैं।

संस्कृत सहायक अध्यापक परीक्षाका परिणाम घोषित

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संस्कृत विषय के सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा की मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। १८२ अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत सात दिसम्बर २०२५ को प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की गयी थी। इसमें कुल २६,२७३ अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर २,७७२ अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इसके बाद २३ अप्रैल २०२६ को मुख्य परीक्षा आयोजित की गयी थी। अब आयोग ने इसका अंतिम परिणाम जारी किया है। आयोग के अनुसार संस्कृत विषय के लिए चार समूहों के तहत पद विज्ञापित किये गये थे। इनमें ग्रुप-१ के पुरुष और महिला शाखा का परिणाम जारी किया गया है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है।

सलीम अंसारीसे देवव्रत शुक्ला बने व्यक्तिको धमकी, वीडियो वायरल

मुख्यमंत्रीसे मांगी सुरक्षा, पुलिस जांच में किराएदारसे विवादकी बात आयी सामने

घूरपुर थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो पोस्ट कर उसने खौफ से धर्म परिवर्तन कर सलीम अंसारी से देवव्रत शुक्ला बनने का भी दावा किया।आरोप लगाया कि गांव के हमजा और उसके बेटे धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। युवक ने वीडियो किसी अपने साथी से ट्वीट कराकर मुख्यमंत्री और प्रशासन तथा सनातन समाज से सुरक्षा की गुहार लगायी। इसकी जानकारी होते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई।

हालांकि पुलिस की जांच में करीब दो साल पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की बात सामने आयी है। वहीं किराएदार से विवाद की वजह से वीडियो पोस्ट करने का मामला सामने आया। फिलहाल किराएदार से कमरा खाली कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, कानपुर के मूलनिवासी सलीम अंसारी पुत्र वाजिद अली का परिवार कई साल पहले घूरपुर के सारंगपुर गांव आकर बस गया था। सलीम अंसारी वाहन चालक हैं। घूरपुर पुलिस गुरुवार को उसके घर पहुंची और जांच पड़ताल की, तो सच्चाई इतर निकली। पुलिस का कहना है कि सलीम अंसारी ने १२ फरवरी २०२४ को अपने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाकर अपना नाम देवव्रत शुक्ला रख लिया था। उसके मकान में हमजा की बहन किराए पर रहती थी। पिछले कुछ दिनों से देवव्रत कमरा खाली करने का दबाव बना रहा था। इसकी को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हुई थी। आरोप है कि देवव्रत ने दबाव बनाने की मंशा से वीडियो में गलत बयानबाजी कर पोस्ट कर दिया था। एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान ने बताया कि दो साल पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया गया था। किराएदार से विवाद की वजह से वीडियो पोस्ट किया गया था। हालांकि, किराएदार से कमरा खाली करवा दिया गया है।

शिवांगी भार्गव संयुक्त सचिव महिला एवं ऊष्मा मिश्रा कोषाध्यक्ष महिला निर्वाचित

हाईकोर्ट बार चुनावमें उपाध्यक्ष पदपर अन्नपूर्णा सिंह चंदेल और शक्ति सिंहकी बढ़त बरकरार अदिति,वंदना, दिव्य, सोनी और दुर्गा कुमारी कार्यकारिणी सदस्य (महिला) चुनी गयीं

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के चुनाव में शिवांगी भार्गव संयुक्त सचिव (महिला)एवं ऊष्मा मिश्रा कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष (महिला) पद पर निर्वाचित घोषित हुई हैं। महिला उपाध्यक्ष में अन्नपूर्णा सिंह चंदेल सर्वाधिक ३६०५ मत हासिल कर पहले स्थान पर है।। वहीं पुरुष उपाध्यक्ष की मतगणना में शक्ति सिंह १४८६ मतों के साथ सबसे आगे चल रहे है। अदिति पाण्डेय, वंदना सिंह, दिव्या यादव, सोनी गुप्ता और दुर्गा कुमारी कार्यकारिणी सदस्य (महिला) चुनी गयीं।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के वार्षिक चुनाव २०२६-२७ की मतगणना के १४वें दिन गुरुवार को लाइब्रेरी हाल में उपाध्यक्ष पुरुष एवं महिला पदों के ८८२० मतपत्रों की गणना हुई। इसी दौरान पं. के.एन. मिश्र अध्ययन कक्ष (न्यू कमेटी रूम) में संयुक्त सचिव (माहिला), कोषाध्यक्ष (माहिला) और कार्यकारिणी सदस्य (महिला) पद के कुल १००३३ मतपत्रों की गणना पूरी की गई।मुख्य चुनाव अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सैय्यद फरमान अहमद नकवी ने बताया कि आज संयुक्त सचिव (महिला), कोषाध्यक्ष (महिला) पद एवं कार्यकारिणी सदस्य



(महिला) के पांच पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया। संयुक्त सचिव (महिला) पद पर अधिवक्ता श्रीमती शिवांगी भार्गव (शिवांगी तिवारी) ने ९१ मतों से जीत दर्ज की। शिवांगी को सर्वाधिक २६२१ मत मिले। उडिशा त्रिपाठी को २५३०,कविता तोमर २३५५, रचना सिंह को १५०३ और प्रीति द्विवेदी को ५२७ मत मिले। कोषाध्यक्ष (महिला) पद पर श्रीमती उष्मा मिश्रा (नेता जी) ने ८८४ मतों के अन्तर से विजयी रही। उनको सर्वाधिक ३७२० मत मिले। आराधना सिंह (केएम आराधना) को २८३६ और अंजना चतुर्वेदी को २७०४ मत प्राप्त हुए। कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के पांच पदों पर सर्वाधिक मत पाने वाली प्रत्याशियों में अदिति पाण्डेय (४८२२), वंदना सिंह (४७००), दिव्या यादव (३०९४), सोनी गुप्ता (२८७४) और दुर्गा कुमारी (२४३१) क्रमशः पहले से पांचवें स्थान पर रहीं।

मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक महिला उपाध्यक्ष पद की ८० राउण्ड की मतगणना में अन्नपूर्णा सिंह चंदेल को ३६०५, रंजना (रंजना सिंह) को २६९३, मंजू कुमारी (मंजू पांडेय महक) को २५४२, रीमा गुप्ता को १८७१, हया रिजवी को १७७४ और राखी कुमारी को १३०३ मत मिले। पुरुष उपाध्यक्ष में शक्ति सिंह १४८६ मतों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। आशुतोष पांडेय को ११९४, अवनीश कुमार श्रीवास्तव को १०३६, जितेंद्र सिंह को १०३२, परवेज इकबाल अंसारी को ९८४, अशोक कुमार गुप्ता को ९८१, कमलेश रतन यादव को ९७६, त्रिपुरारी पाल को ९७२, विनोद कुमार यादव ९४८, अमित कुमार (अमित दुबे) को ८७७, अब्दुल मजीद को ८७६ मत मिले। चुनाव समिति के अनुसार शुक्रवार को सुबह १० बजे से शाम पांच बजे तक लाइब्रेरी हाल में उपाध्यक्ष पुरुष एवं महिला तथा पं. के.एन. मिश्र अध्ययन कक्ष में कार्यकारिणी सदस्य (पुरुष) के १० पदों के मतपत्रों की गणना होगी।

नाबालिगसे दुराचारके आरोपसे विकास यादव उर्फ गोलू बरी

(विधि संवाददाता)

जून २०२४ में मांडा थाना क्षेत्र में तथाकथित नाबालिग से दुराचार की घटना में आरोपित विकास यादव उर्फ गोलू को विशेष सत्र न्यायालय ने उसके विरुद्ध अभियोजन के आरोप साबित न होने पर दोष मुक्त करार दिया है।

अभियोजन मामले के अनुसार वादनी मुकदमा की १६ वर्षीय पुत्री पिता को खाना पहुंचाने जा रही थी तभी आरोपित विकास यादव ने उसके साथ गलत हरकत करने लगा विरोध करने पर पीड़िता को उठाकर नाले में कूद गया । शरीर पर कई जगह दात से काटा थप्पड़ मारते हुए जान से मारने की धमकी दिया।पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपित के विरुद्ध दुराचार, पाकसो अधिनियम, एससी एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया था। पीड़िता ने न्यायालय में दिए गए बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपो से स्पष्ट इनकार कर दिया। कहा कि आरोपित ने उससे खाना छीन कर खा लिया था।

यह फैसला विनोद कुमार चौरसिया विशेष न्यायाधीश पाकसो अधिनियम ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक तथा आरोपित के अधिवक्ता नदीम अहमद सिद्दीकी को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतो साक्ष्यो के विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत पाया कि अभियोजन ने लगाये गये आरोपो को साबित करने में विफल रहा है ।लिहाजा उपरोक्त आरोपित को दोष मुक्त किया जाता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री १५ हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

नौकरीके नामपर मांगी थी १५ हजार रुपये, सीडीपीओ की भूमिका भी होगी जांच

आंगनबाड़ी सहायिका पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर ३५ हजार रुपये रिश्वत मांगने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रीना देवी को विजिलेंस प्रयागराज की टीम ने गुरुवार को १५ हजार रुपये लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। कारवाई सिराथू स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय परिसर में की गई। पूछताछ में सीडीपीओ मनोज कुमार वर्मा की भूमिका की जानकारी मिलने पर विजिलेंस टीम उसकी भी जांच करेगी।

विजिलेंस के मुताबिक सिराथू क्षेत्र की एक महिला ने सात अक्टूबर को शिकायत की थी। बताया कि उसकी बेटी रोशनी कुमारी ने आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए नौ दिसंबर २०२५ को ऑनलाइन आवेदन किया था। आरोप है कि नियुक्ति के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्री रीना देवी ने ३५ हजार रुपये की मांग की शिकायतकर्ता के मुताबिक तीन अक्टूबर को उसने सीडीपीओ मनोज कुमार वर्मा से कार्यालय में मुलाकात की। आरोप है कि सीडीपीओ ने नियुक्ति आदेश के संबंध में रीना देवी से मिलने की बात कही। इसके बाद रीना देवी ने ३५ हजार रुपये मांगे।



शिकायतकर्ता ने सीडीपीओ से फोन पर बात की तो उन्होंने भी रीना देवी से मिलने को कहा।

सात अक्टूबर को रीना देवी ने फोन कर जल्द रुपये की व्यवस्था करने को कहा। शिकायतकर्ता ने १५ हजार रुपये ही जुटा पाने की बात कही तो आरोपित ने आठ अक्टूबर को १५ हजार रुपये लाने और बाकी रकम बाद में देने को कहा। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। गुरुवार दोपहर करीब सवा एक बजे सिराथू स्थित सीडीपीओ कार्यालय परिसर में रीना देवी ने जैसे ही १५ हजार रुपये लिए, विजिलेंस टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। उसके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। मामले में सीडीपीओ की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।